उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
समाहरणालय परिसर, साकची,जमशेदपुर दुरभाष संख्या–0657–2431002 फैक्स 2429929
ई–मेल –dc-jsr@nic.in

इच्छा की अभिव्यक्ति आमत्रंण सूचना

विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA) अन्तर्गत दिनांक 20.03.2018 को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में जिले के बीस (+2) उच्च विद्यालय, एक आवासीय विद्यालय में स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन एवं दो +2 उच्च विद्यालय में साइन्स सेन्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार **बीड (1)** स्मार्ट क्लास अधिष्ठापन एवं संचालन एवं **बीड (2)** विज्ञान केन्द्र के अधिष्ठापन एवं संचालन करने हेतु निम्न शर्त्तो के अधीन मानक स्तर के कम्पनियों, निर्माताओं/अधिकृत एजेसियो से **इच्छा की अभिव्यक्ति** दिनांक **11.06.2018.** के अपराह्न 2.00 बजे तक जिला विकास शाखा समाहरणालय पूर्वी सिंहभूम में आमंत्रित की जाती है एवं उक्त तिथि को ही उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम कार्यालय में **इच्छा की अभिव्यक्ति** खोली जाएगी तदुनसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

–: इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्ते :–

1. स्थायी रूप से अधिष्ठापित किए जाने वाले सभी उपकरणों का **बीड (1)** तीन वर्षो एवं **बीड (2)** का एक वर्ष तक देख–रेख की जिम्मेवारी सम्बंधित एजेसी की होगी।
2. सभी अभिव्यक्ति आमंत्रण दो लिफाफा प्रणाली(Double Envelopes System) के अनुसार डाली जाएगी , जिसमें Technical एवं Financial इच्छा अलग–अलग लिफाफे में मुहर बंद कर उसे फिर एक बड़े लिफाफे में मुहर बंद कर सभी आवश्यक कागजातो के साथ जमा करना होगा। मुख्य लिफाफे के उपर अपना नाम ,पता एवं दूरभाष संख्या ,आधार संख्या ,पैन संख्या, खाता संख्या एवं पंजीयन संख्या, अंकित करते हुए सभी प्रमाण पत्र के स्व अभिप्रमाणित प्रति लिफाफे के अंदर रखना अनिवार्य होगा। इच्छा अभिव्यक्त करने वालों को जी.एस.टी.(GST) तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
3. इच्छा अभिव्यक्ति के साथ लिफाफे के अंदर अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र एवं ISO प्रमाण पत्र धारक का प्रमाण, आयकर प्रमाण पत्र (विगत तीन वर्षो का) साथ ही कालीसूची में दर्ज नही रहने का शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इच्छा अभिव्यक्त करने वाली एजेंसी को सम्बंधित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. इस निमित आमंत्रित इच्छा अभिव्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रदद् करने अथवा एक से अधिक इच्छा अभिव्यक्त करने वाले को कार्य आवंटित करने का अधिकार का निर्णय निविदा समिति को सुरक्षित होगा।
6. **इच्छा की अभिव्यक्ति** खोलने के समय उसके तकनिकी पहलुओं से संबंधित प्रदर्शन कम्प्युटर/लैपटॉप के माध्यम से समिति के समक्ष प्रकट करने के तैयारी के साथ सभी इच्छुक एजेन्सी/प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा।
7. इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।
8. स्मार्ट क्लास एवं साईन्स सेन्टर के अधिष्ठापन संबंधी विद्यालय की सूची एवं विशिष्टतायें http://jamshedpur.nic.in के वेबसाईट/पोर्टल के "Tenders" Section पर अवधारित (Upload) है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।	उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।	उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।